**संख्या-1047/53-2-2023**

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. दुग्ध आयुक्त,
   दुग्धशाला विकास,उ0प्र0/
   मिशन निदेशक,
   नन्द बाबा दुग्ध मिशन,
   उ0प्र0।

2. निदेशक,
   प्रशासन एवं विकास,
   पशुपालन विभाग,
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः23 नवम्बर, 2023

विषय- 'नन्द बाबा दुग्ध मिशन' के अन्तर्गत "मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना" के दिशा-निर्देश में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन के पत्रांक-99/एस0पी0एम0यू0-एन0बी0डी0एम0/2023-24, दिनांक 31 अक्टूबर 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दुग्ध विकास अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-812/53-2-2023, दिनांक 25 अगस्त, 2023 द्वारा "मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना" के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देश के प्रस्तर-8,9,10 में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत योजना में सत्यापन प्रणाली को व्यावहारिक बनाये जाने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना" के दिशा-निर्देश में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् संशोधन किया जाता है-

| प्रस्तर संख्या | वर्तमान प्राविधान | संशोधित प्राविधान |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 8(i) | आवदेन प्राप्त होने के उपरान्त सर्वप्रथम सम्बन्धित जनपद के उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/जिला समन्वयक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन द्वारा आवेदन का स्थलीय सत्यापन किया जाएगा। तत्पश्चात् उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/ जिला समन्वयक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन द्वारा स्थलीय सत्यापन समिति के माध्यम से पशुपालक की स्वदेशी नस्ल की गाय की दुग्ध उत्पादकता का स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा। स्थलीय सत्यापन समिति का स्वरूप निम्नवत् होगाः<br>(क) सम्बन्धित जनपद के उप दुग्धशाला विकास अधिकारी द्वारा नामित वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक/दुग्ध निरीक्षक/राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक।<br>(ख) सम्बन्धित विकास खण्ड के पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित पशुधन प्रसार अधिकारी। | आवदेन प्राप्त होने के उपरान्त सर्वप्रथम सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा स्थलीय सत्यापन समिति के माध्यम से पशुपालक एवं उसकी स्वदेशी नस्ल की गाय की दुग्ध उत्पादकता का स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा। स्थलीय सत्यापन समिति का स्वरूप निम्नवत् होगाः-<br>(क) सम्बन्धित क्षेत्र के ग्राम विकास अधिकारी अथवा ग्राम पंचायत अधिकारी।<br>एवं<br>(ख) सम्बन्धित जनपद के दुग्धशाला विकास विभाग के वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक/दुग्ध निरीक्षक/राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक अथवा पशुपालन विभाग के पशुधन प्रसार अधिकारी। |
| 8(ii) | स्थलीय सत्यापन समिति द्वारा लगातार 02 दिन 04 दुहान (प्रातः एवं सांय) के आधार पर गाय की दैनिक दुग्ध उत्पादकता का निर्धारण किया जायेगा। 04 दुहान का तात्पर्य यह है कि प्रथम दुहान के बाद गाय का थन (Udder) खाली हो जायेगा तत्पश्चात द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ दुहान से वास्तविक दुग्ध उत्पादन उपलब्ध होगा। गाय के एक दिन के दुग्ध उत्पादन की गणना (संलग्नक-03) के अनुसार की जायेगी। | स्थलीय सत्यापन समिति द्वारा लगातार 02 दिन 04 दुहान (प्रातः एवं सांय) के आधार पर गाय की दैनिक दुग्ध उत्पादकता का निर्धारण किया जायेगा। 04 दुहान का तात्पर्य यह है कि प्रथम दुहान के बाद गाय का थन (Udder) खाली हो जायेगा तत्पश्चात द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ दुहान से वास्तविक दुग्ध उत्पादन उपलब्ध होगा। गाय के एक दिन के दुग्ध उत्पादन की गणना (यथा संशोधित संलग्नक-3) के अनुसार की जायेगी। |
| 8(iv) | स्थलीय सत्यापन समिति द्वारा किये गये सत्यापन में से पांच प्रतिशत पशुपालकों का रैण्डम आधार पर द्वितीय सत्यापन, सम्बन्धित जनपद की डिस्ट्रिक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा कराया जाएगा। | जनपद स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत् समिति होगी-<br>1-मुख्य विकास अधिकारी - अध्यक्ष<br>2-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी - संयोजक सचिव<br>3-यथास्थिति उप दुग्धशाला |

| | | |
|---|---|---|
| | | विकास अधिकारी/नामित उप<br>मुख्य पशु चिकित्साधिकारी - सदस्य<br>स्थलीय सत्यापन समिति द्वारा किये गये सत्यापन में से पांच प्रतिशत पशुपालकों का रैण्डम आधार पर द्वितीय सत्यापन उपर्युक्त समिति द्वारा कराया जाएगा। |
| 9 | **प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत करने की प्रक्रियाः**<br>पशुपालक द्वारा किये गये आवेदन पत्र का सत्यापन एवं दुग्ध उत्पादकता के सम्बन्ध में स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत जनपद में गठित डिस्ट्रिक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी की संस्तुति प्राप्त की जायेगी। डिस्ट्रिक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी की संस्तुति के आधार पर परीक्षणोपरान्त स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेन्ट यूनिट, नन्द बाबा दुग्ध मिशन चयनित लाभार्थी को एक माह के भीतर एकमुश्त अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से अवमुक्त करने हेतु सक्षम होगी। | **प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत करने की प्रक्रियाः**<br>पशुपालक द्वारा किये गये आवेदन पत्र का सत्यापन एवं दुग्ध उत्पादकता के सम्बन्ध में स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त उपर्युक्त प्रस्तर-8(iv) के अनुसार जनपद में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति प्राप्त की जायेगी। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के आधार पर परीक्षणोपरान्त स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेन्ट यूनिट, नन्द बाबा दुग्ध मिशन चयनित लाभार्थी को एक माह के भीतर एकमुश्त अनुदान, डी0बी0टी0 के माध्यम से अवमुक्त करेगी। |
| 10 | **नोडल एजेन्सीः**<br>योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु "नन्द बाबा दुग्ध मिशन सोसायटी" नोडल एजेन्सी होगी। | योजना का क्रियान्वयन(संचालन) एवं अनुश्रवण पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के अधिकारियों द्वारा "नन्द बाबा दुग्ध मिशन सोसायटी" के पर्यवेक्षण में किया जायेगा । |

विषयगत शासनादेश के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**<u>संलग्नक:यथोक्त।</u>**

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)

अपर मुख्य सचिव।

**संख्या-1047(1)/53-2-2023, तद्दिनांक-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, पशुधन, वित्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(5) प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, उ0प्र0।
(6) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास/नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उत्तर प्रदेश।
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राम सहाय यादव
विशेष सचिव।

**संलग्नक - 03(संशोधित)**

"मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत स्वदेशी नस्ल की गायों के प्रतिदिन दूध का आगणन-प्रपत्र

1- आवेदन संख्या .....

2- आवेदक का नाम एवं पता .....

3- दुहान का स्थान .....

4- पशुओं की पहचान हेतु माइक्रोचिप्स / ईयर टैगिंग सिस्टम अथवा पहचान की किसी भी मान्यता प्राप्त प्रणाली का प्रमाण-पत्र एवं पहचान संख्या .....

5- स्वदेशी गाय की नस्ल .....

6- ब्यॉत की तिथि .....

7- संतति (नर/मादा) .....

8- दुहान का विवरणः

| | प्रथम दुहान की मात्रा/थन खाली करना (कि0ग्रा0 में) | द्वितीय दुहान की मात्रा (कि0ग्रा0 में) | तृतीय दुहान की मात्रा (कि0ग्रा0 में) | चतुर्थ दुहान की मात्रा (कि0ग्रा0 में) |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| दिनांक | | | | |
| समय | | | | |
| उपार्जित दूध की मात्रा (कि0ग्रा0 में) | | | | |

(i) कुल दुग्ध उपार्जन की मात्रा (कॉलम 2+3+4 का योग) कि0ग्रा0 में.....

(ii) प्रतिदिन दूध की औसत आगणित मात्रा (कॉलम 2+3+4 का योग x 2/3) कि0ग्रा0 में.....

प्रमाणित किया जाता है कि "मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत स्वदेशी उन्नत नस्ल की.....गाय के प्रतिदिन दूध का उत्पादन..... कि0ग्रा0 है। उक्त दुग्ध उत्पादन के अनुसार आवेदक श्री/श्रीमती/सुश्री..... को प्रोत्साहन दिये जाने / नहीं दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

**सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर**

ग्राम विकास अधिकारी/
ग्राम पंचायत अधिकारी
के हस्ताक्षर तिथि व मुहर सहित

वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक / दुग्ध निरीक्षक/
राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक/
पशुधन प्रसार अधिकारी,
के हस्ताक्षर तिथि व मुहर सहित